झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक– ....../......../2026 ई०।

07/हो०गा०(स्था०)–03/2025 – ..../

विभागीय अधिसूचना सं०– 4914 एवं 4915, दिनाक–10.08.2010 के द्वारा सेवा मुक्त किये जाने के उपरांत विभागीय आदेश सं०–4155, दिनांक 05.09.2012 द्वारा पुनर्बहाल कर योगदान प्राप्त / स्वीकृत करने के निर्णय के आलोक में द्वितीय बैच के निम्नांकित जिला समादेष्टा की सेवा मुक्त अवधि (दिनांक–10.08.2010 से दिनांक 05.09.2012 तक) को माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद CBI, ACB, Ranchi Case no- RC 06(A)/2012-AHD-R, दिनांक–05.07.2012 तथा अन्य याचिकाओं के न्याय निर्णय एवं सरकार के आदेश से. प्रभावित होने के शर्त पर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–236 के अधीन असाधारण अवकाश (अवैतनिक) के रूप में सशर्त तदर्थ रूप से विनियमित किया जाता है :–

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन
01	श्री रवि कुमार कुजूर	जिला समादेष्टा, गिरिडीह
02	श्री हरिहर सिंह मुण्डा	जिला समादेष्टा, सरायकेला–खरसावाँ।

2. उक्त सेवा मुक्त अवधि (दिनांक–10.08.2010 से दिनांक–05.09.2012) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–236 के अधीन असाधारण अवकाश के रूप विनियमन के फलस्वरूप किसी प्रकार का वेतन, भत्ता आदि देय नहीं होंगे।

3. द्वितीय बैच के सेवा मुक्तं एवं पुर्नबहाल किये गये उक्त 02 जिला समादेष्टा की सेवा मुक्त अवधि (दिनांक–10.08.2010 से दिनांक–05.09.2012 तक) को सशर्त तदर्थ रूप से विनियमन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(ओम प्रकाश तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 07/हो०गा०(स्था०)–03/2025 – ..../ राँची, दिनांक– ....../......../2026 ई०।

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, रैंधी / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 07/हो०गा०(स्था०)–03/2025 – 4307/ राँची, दिनांक–09/07/2026 ई०।

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची / अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची / महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/ अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड रॉंची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/7/26

सरकार के संयुक्त सचिव।